समकालीन भारत में जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समावेशन

मुद्दे एवं चुनौतियां

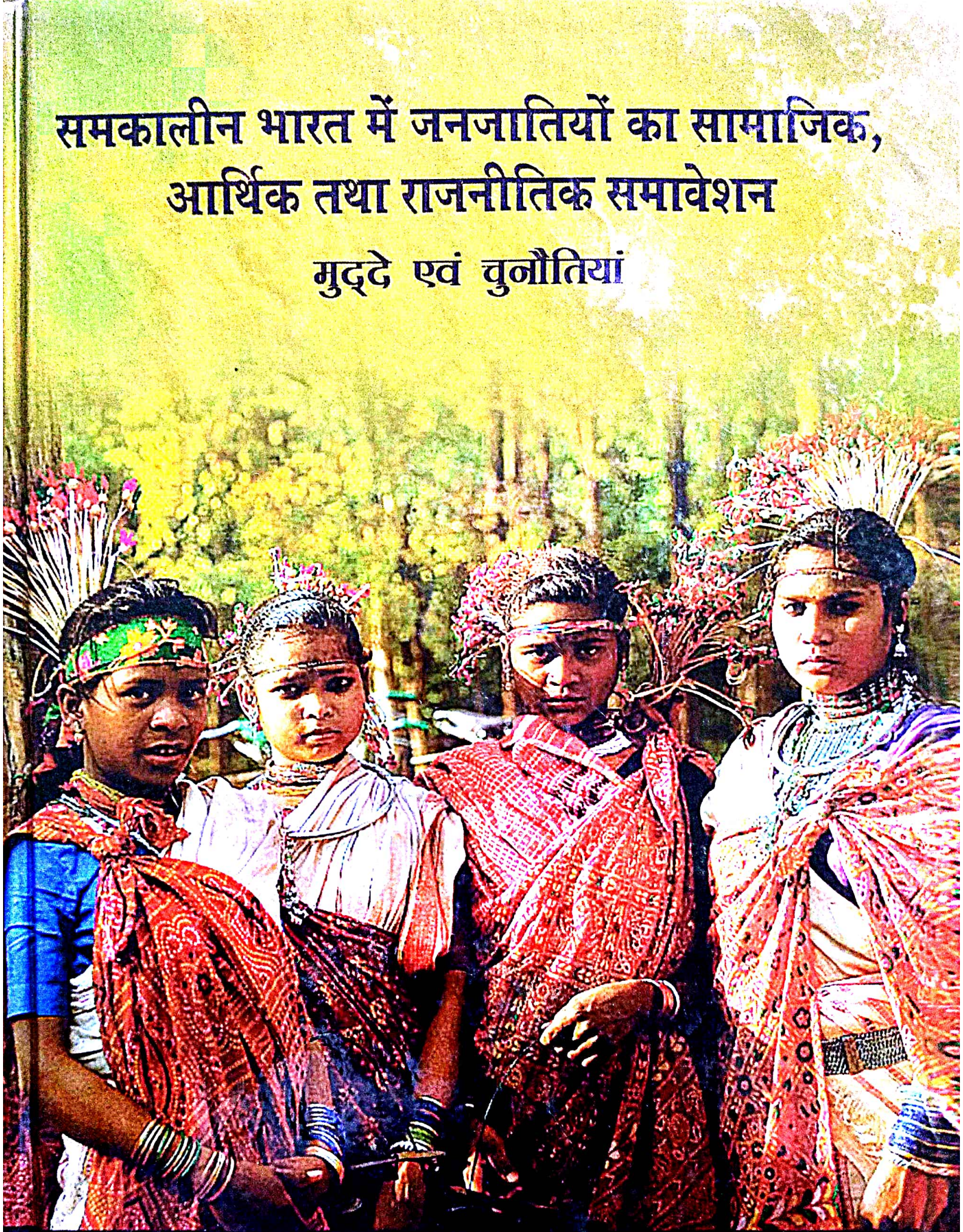

डॉ. अखिलेश कुमार द्विवेदी

© सर्वाधिकार सम्पादक के अधीन

ISBN: 978-93-5737-060-8

प्रकाशक:

Anakhar
An Online Publication

जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ 494001

प्रथम संस्करण : 2022

मूल्य : 1250/-

Samkaleen Bharat Me Janjatiyon Ka Samajik, Arthik Tatha Rajneetik Samaveshan: Mudde Evam Chunautiyan

Dr. Akhilesh Kumar Dwivedi

विषय-सूची

क्र०	अध्याय	पृष्ठ
1	जनजातीय परम्परागत राजनीतिक संस्थाएं डॉ. अजय कुमार सोनी	1
2	जनजातीय स्वास्थ और शिक्षा में विकास डा. प्रविण्यलता मारकण्डेय	10
3	सामाजिक समावेशन तथा जनजातियाँ डॉ. शारदा दुबे एवं डॉ. एस. एल. निराला	17
4	आर्थिक समावेशन तथा जनजातियां डॉ. (श्रीमती) अनीता मेश्राम	22
5	रोजगार सृजन एवं आजीविका के लिए जनजातियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं विपणन सहायता राम प्रवेश	27
6	भारत में अनुसूचित जनजातियों का समावेशनः संवैधानिक व विधिक परिप्रेक्ष्य यशस्वी सिंह	41
7	भारत में जनजाति समाज का सामाजिक-आर्थिक न्याय का विश्लेषणात्मक अध्ययनः छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में ब्रजेश कुमार	52
8	बस्तर जिले के जनजातीय समाज में मानवाधिकारों का अध्ययन सियालाल नाग	67
9	जनजाति समाज में अभिजन वर्ग एवं नेतृत्व की भूमिकाः छ. ग. के विशेष संदर्भ मे डॉ0 हाजरा बानों	80

10 जनजातीय विकास की योजनाएँः छ.ग. के विशेष संदर्भ में 87
डॉ. एम.पी. रोहणी, डॉ. वर्षा अग्रहरि एवं सस्मिता बरगाह

11 आधाभूत स्तर पर जनजाति और राजनीतिक सहभागिता जिले के विकास की भूमिका 94
रामकृष्ण साहू

12 जनजातियों में नव सामाजिक स्तरीकरण (सरगुजा जिले की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन) 97
डॉ0 सुषमा भगत

13 आदिवासी विकास के क्षेत्र में शिक्षा की भूमिकाः धार जिले के विशेष संदर्भ में 104
डॉ. प्रकाशिनी तिवारी

14 जनजातीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति एवं चुनौतियांः सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखण्ड के संदर्भ में 113
डॉ. प्रकाश चंद बेक

15 जनजातियों का नामकरण एक समाजकालीन चिंतन 123
डॉ0 मुकुल रंजन गोयल

16 जनजातीय समाज की विशिष्ट वैवाहिक पद्धतियांः छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में 130
छबिलाल सिदार

17 भारत देश में गोंड़ जनजाति की समृद्ध विरासत 135
डॉ. अखिलेश कुमार द्विवेदी

18 आदिवासी समूह की पहचान का संकटः बिरजिया समुदाय का अध्ययन 144
रोजलिली बड़ा

19 पण्डो जनजाति में धर्मिक जीवनः सरगुजा क्षेत्र के विशेष संदर्भ में 155
प्रो. हर्ष कुमार पाण्डेय

20 कोरवा जनजाति में सामाजिक कुरीतियों का प्रभावः एक अध्ययन 161
डॉ. अलका पाण्डेय

21 उराँव जनजाति की राजनीतिक व सांस्कृतिक संस्थाएँः परम्परा और परिवर्तन 166
डॉ. अजय पाल सिंह

22 जनजातियों में शिक्षा का प्रसारः उराँव जनजाति के विशेष संदर्भ में 172
डॉ. सलीम किस्पोट्टा

23 आदिवासी महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरणः एक भारतीय स्वरूप 178
डॉ. किरण श्रीवास्तव

24 ग्रामीण राजनीति एवं जनजाति महिलायें 194
प्रो. प्यारेलाल आदिले

25 उराँव जनजाति में महिलाओं का स्थान 197
श्रीश सुदर्शन विश्वकर्मा

26 सरगुजा की जनजातीय महिलाओं में शिक्षाः दशा एवं दिशा 201
डॉ. ममता गर्ग

27 नागरिकता (संशोधन) कानून और पूर्वोत्तर का जनजातीय समाज 205
बालेश्वर प्रसाद

28 आदिवासी समाज में धर्मांतरण की समस्या और हिन्दी उपन्यास 221
डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय

29 आदिवासी कविताः आर्तनाद एवं मुक्ति की आकांक्षा 233
डॉ. पुनीत कुमार राय एवं डॉ. प्रिया राय

7

भारत में जनजाति समाज का सामाजिक–आर्थिक न्याय का विश्लेषणात्मक अध्ययन: छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में

ब्रजेश कुमार
सहायक प्राध्यापक विधि
रा. गांधी शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर (छ.ग.)

भूमिका

भारत विभिन्नताओं का देश है। यहां विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा के लोग निवास करते हैं। सभी जातियों का अपना अलग-अलग पहचान है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग जाति जनजाति के लोग निवास करने के साथ अपनी पारम्परिक संस्कृति, भाषा, सामाजिक रीति रिवाज केलिए काफी प्रसिद्ध हैं। भारत के जनजातीयों का वर्गीकरण अनेक आधार पर किया जा सकता है परन्तु इसमे भौगोलिक भाषागत आधार मुख्य है। यदि भौगोलिक आधार की बात करें तो इसे पांच भागों मे विभक्त करना उचित होगा- पूर्वोत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, और द्वीप-समूह क्षेत्र आतें हैं। इसी प्रकार भाषागत आधार की बात करें तो इसे चार भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है- इंडो योरोपियन, द्रविड़,

ओस्ट्रिक एवं तिब्बती।

छत्तीसगढ़ एक जनजातीय बाहुल्य राज्य है। छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदाय मध्य क्षेत्र मे आते हैं। यह क्षेत्र धान, खनिज तथा वन संपदा से भरपूर है। छत्तीसगढ़ जनजातीय समाज का अपनी विशिष्ट संस्कृति, बोली, रहन-सहन है। यहां कुल 42 जनजातियां पाई जाती है। 2011 जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसख्या का 30.6 आतिशत जनजातीय समुदाय निवास करती है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र सरगुजा एवं दक्षिणी क्षेत्र बस्तर जनजातीय बाहुल्य है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख जनजाति गोंड है, इसके अतिरिक्त कॅवर, बिंझवार, भैना, भतरा, उरांव, मुंडा, कमार, हल्बा, बैगा, इत्यादि काफी जनसंख्या में है। प्रदेश के जनजातीयों का अधिकतर जनसंख्या पहाड़ी वनाच्छादित क्षेत्र एवं दुर्गम अंचलो में निवास करती है। आदिवासी समाज की बाहुल्य जनसंख्या की आर्थिक स्थिति वनों पर आधारित है। जनजातीय समुदाय को भारतीय संविधान में 'अनुसूचित जनजाति' कहा गया है। यद्यपि इसे आदिवासी, वनवासी, इत्यादि नामो से भी जाना जाता है। जनजाति समाज ऐसे क्षेत्रों में निवास करती है, जहां बुनियादी सुविधाओं की पहुंच न के बराबर है। आदिवासी समाज 21वीं शताब्दी में भी अपनी बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, शुद्ध जल, सड़क, पाठ्शाला, इत्यादि के लिए संघर्ष कर रही है। आदिवासी समाज आधुनिक वातावरण एवं शिक्षा व्यवस्था से वंचित है। इसका परिणाम यह है कि यह समाज आर्थिक एवं समाजिक अन्याय की समस्याओं से ग्रषित है। समाज में अस्पृश्यता की भावना, कुपोषण, गौरवपूर्ण जीवन, सांस्कृतिक अलगांव, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ, नक्सल समस्या इत्यादि अनेकों समाजिक एवं आर्थिक अन्यायपूर्ण दशा की सामना कर रहीं हैं।

शोध पत्र में भारत में जनजाति समाज का सामाजिक-आर्थिक न्याय का विश्लेषणात्मक अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में किया गया है। जनजाति समाज में समाजिक एवं आर्थिक अन्याय को दूर करने के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत जनजाति समाज को प्राप्त अधिकार तथा इस संदर्भ मे न्यायालय की दृष्टिकोण का विशेष वर्णन किया गया है साथ ही अनुसूचित जातियां

और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं वन अधिकार अधिनियम 2006, में जो आावधान है, उसका संक्षिप्त अध्ययन करना है, तथा वह विधि अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में कहां तक सार्थक सिद्ध हुआ है, की समिक्षा कर सुझाव आस्तुत करना है। शोध पत्र द्वितीयक तथ्यों के अध्ययन पर आधारित है।

भारतीय संविधान में जनजातीय समुदाय का संरक्षण

भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता जनता के मूल अधिकारों की संरक्षण करना हैं। संविधान मूल अधिकारों के माध्यम से समाज के ऐसे वर्गो के हितों की संरक्षण करता है जो सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रुप से पिछड़े हों। राज्य की नीति के निदेशक तत्वो के माध्यम से राज्य को यह कर्तव्य प्रदान करता है कि समाज के दुर्बल समूह के लिए लोक कल्याणकारी कार्य करे।

उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शो एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। **इन री बेरूबारी यूनियन** (ए.आई.आर.1960, एस.सी.) के वाद मे उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट अभिकथित किया कि उद्देशिका संविधान-निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारतीय संविधान, भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान करता है साथ ही विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। उद्देशिका के अनुसार भारतीय संविधान लोगों मे प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। इस प्रकार भारतीय संविधान समाज के सभी वर्गो को समाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है।

इस प्रकार संविधान में अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं सेवा की सुरक्षा प्रदान की गयी है। संविधान यह सुरक्षा मौलिक अधिकार के माध्यम से तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा राज्यों को विशेष निर्देश प्रदान कर एवं संविधान के अन्य अध्यायों में अनुसूचित जनजातियों हेतु विशेष प्रावधान कर संरक्षण प्रदान करती है।

भारतीय संविधान के भाग 3 मे भारत मे रहने वाले सभी व्यक्तियों को 6 प्रकार के मूल अधिकारों की घोषणा की गयी है। यह सभी अधिकार भारत के समस्त नागरिकों को प्राप्त है जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोग भी आते है। लेकिन भारतीय संविधान समाज के दुर्बल वर्गो, जिसमे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मुख्य रूप से आते है, के हितों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 के अनुसार देश मे निवासरत सभी व्यक्तियों को 'विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण' प्राप्त है, अर्थात राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ असमानता का व्यवहार नहीं करेगा, साथ ही इन आधारों पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुँआ, तालाव, स्नानघाटों, सड़को और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग करने केलिए निर्योग्य नहीं समझा जायेगा (अनु0.15 (1)(2))। इन अनुच्छेदो द्वारा संविधान समाज मे व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने की उद्देश्य रखती है तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के प्रति सामाजिक बुराईयों को समाप्त करती है।

संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़कर राज्य को यह शक्ति प्रदान किया गया है, कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।

अनुच्छेद-17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है तथा इसके किसी रुप में पालन को प्रतिषेध करता है। यह अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी अयोग्यता को लागू करने को दण्डनीय अपराध घोषित करता है। इस प्रकार भारतीय संविधान समाज मे चले आ रहे छुआछुत रूपी महान कलंक को समाप्त करने एवं भविष्य में इसके किसी भी रूप मे पालन करने को भी प्रतिषेधित करता है। संसद ने इस व्यवहार को निषेध करने हेतु 1955 में 'अस्पृश्यता अपराध अधिनियम' बनाया जिसे 1967

में 'सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955' कर दिया गया तथा अस्पृश्यता व्यवहार को दण्डनीय अपराध बनाते हुए कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है। **पीपुल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ** (ए.आई.आर.1982, एस.सी 1473) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 17 द्वारा प्रदत मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध नहीं वरन् प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है और यह राज्य का संवैधानिक कर्त्तव्य है कि इन अधिकारों का अतिलंघन रोकने के लिए आवश्यक कदम उठकये।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 खण्ड 1 नागरिको को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है और यह स्वतंत्रता निरवार्ध नही है अपितु अनुच्छेद 19 खण्ड 2 से 6 तक मे निर्बन्धन भी लगाया गया है। इस निर्बन्धन मे अनुसूचित जनजाति के हितो का विशेष ध्यान रखा गया है और इस कारण अनुच्छेद 19 खण्ड 1 (घ) मे 'संचरण की स्वतंत्रता' एवम् अनुच्छेद 19 खण्ड 1 (ड.) मे ' निवास की स्वतंत्रता ' पर अनुच्छेद 19 खण्ड 5 के माध्यम से राज्य किसी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के लिए निर्बन्धन लगा सकता है। इस उपवंध द्वारा अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन को संरक्षित एवम् सुरक्षित रखने मे बहुत सहायक है।

अनुसूचित जनजाति स्वभावं से सरल एवं सौम्य होतें हैं तथा इनमें शिक्षा का भी अभाव है। इस कारण मानव दुर्यव्यापार, बेगार, बलातश्रम का शिकार होते रहें हैं। संविधान की अनुच्छेद-23 में इन सभी व्यवहार को प्रतिषिद्ध किया गया है। यह प्रतिषेध न केवल राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है वरन प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त हैं।[1] संसद ने स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) अधिनियम, 1986 पारित किया है। इस अधिनियम के अधीन मानव-दुर्व्यापार एक दण्डनीय अपराध हैं। संविधान के अनुच्छेद-46 राज्य को यह कर्तव्य अधिरोपित करता है, कि 'राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से

उसकी संरक्षण करेगा।

अनुसूचित जनजाति के भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण

अनुसूचित जनजाति विशिष्ट भाषा एवं संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद-29(1) में इसे संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार 'भारत-क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार प्रदान करता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 मे लोकहित वाद द्वारा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण किया जा रहा है।

जनजातीय समुदाय का आर्थिक संरक्षण एवं संविधान

भारत लोकतान्त्रिक समाजवादी देश है। **डी. एस. नकारा बनाम भारत संघ** (ए.आई.आर. 1983, एस.सी 130) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि समाजवाद का मूल तत्व कमजोर वर्ग और कर्मकारों के जीवन-स्तर को ऊंचा करना है और उनके लिए जन्म से मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा की गारण्टी देना है। इसका अर्थ आर्थिक समानता एवं आय के समान वितरण को स्थापित करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-16 लोक नियोजन के विषय में अवसर मे समता की बात करता है, अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) एवं (4क) के द्वारा राज्य को पिछडे हुए नागरिक, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नही है, नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण करने की प्रावधान करती है, तथा प्रोन्नति में आरक्षण प्रदान करने की शक्ति राज्य को दी गई है। **छतर सिंह बनाम राजस्थान राज्य** (ए.आई.आर. 1997, एस.सी. 303) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के प्रयोजन के लिए दो पृथक वर्ग है।

भारतीय संविधान के भाग 4 मे राज्य के नीति के निदेशक तत्वो द्वारा राज्यों

को लोक कल्याणकारी कार्य करने की दायित्व दिया गया है। इस संदर्भ में अनुच्छेद 46 उपवंध करती है कि राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गो के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। उसी प्रकार अनुच्छेद 47 के अंतर्गत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्त्तव्य है।

भारतीय संविधान मे अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गो के संरक्षण के लिए विशेष उपवंध

भारत का संविधान समानता और न्याय के आदर्शो पर प्रतिष्ठित है। ऐसी समानता और न्याय की स्थापना का प्रयास राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में किया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने उक्त आदर्शों को मूर्त रूप देने के लिए देश के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिए मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व के अतिरिक्त अनेक समुचित उपवंध किया गया है, जो निम्नलिखित हैः अनुच्छेद 164 के परन्तुक मे अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य मे एक विशेष मंत्री का नियुक्ति का उपवंध करती है। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोक सभा मे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण की उपवंध करती है। अनुच्छेद 332 के अंतर्गत राज्यों की विधान सभा मे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण की उपवंध करती है। संविधान के अनुच्छेद 338क के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की प्रावधान करती है जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करेगा। अनुच्छेद 350ख के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गो के लिए राष्ट्रपति विशेष अधिकारी का नियुक्ति करेगा।

आदिवासी इलाकों में स्वतत्रंता पूर्व अंग्रेजों का शासन-प्रशासन लगभग नही था इन इलाकों को बहिष्कृत और आंशिक बहिष्कृत की श्रेणी में रखा गया। आजादी

के बाद संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची में वर्गीकृत किया गया। इस अनुसूचि के माध्यम से आदिवासियों के स्वशासन की व्यवस्था किया गया और इस हेतु ग्रामसभा की मान्यता दिया गया। ग्राम सभा को अपनी भाषा, संस्कृति, पहचान, रीति-रिवाज और बाजार व्यवस्था तय करने का अधिकार दिया गया। ग्राम सभा के साथ-साथ पंचायती राज व्यवस्था को भी जोड़ा गया तथा दोनो को गांव के विकास की जिम्मेदारी मिली। ये गांव की प्रशासनिक व्यवस्था हुई। जिले के प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए जिला स्वशासी परिषद (डीएसी) को मान्यता दी। यह परिषद स्वायत्त है, और इसके पास वित्त का भी प्रबंधन है। संविधान के अनुच्छेद-275 में ट्राइबल सब-प्लान (टीएसपी) की व्यवस्था है, इसके तहत ऐसे क्षेत्रो के लिए अलग से बजटीय आबंटन होता है जिसका प्रयोग आदिवासीयों के कल्याण तथा आर्थिक सामाजिक बेहतरी के लिए होता है।

भारतीय संविधान को लागू हुए लगभग 70 वर्ष हो चुकें है, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातियों के शिक्षा स्तर की बात करें तो 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 50.11 प्रतिशत है, जो समग्र साक्षरता दर से लगभग 14 प्रतिशत कम है। यदि गरीबी रेखा की बात करें तब इनमें 45.3 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, जो एक चिंतनीय विषय है। छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासियों की जनसंख्या भी घट रही है। यदि हम आंकड़ा देखे तो 2001 की जनगणना के अनुपात में 2011 की जनगणना में इनकी जनसंख्या में 1.18 फीसदी की कमी आई है। इसके पीछे जो कारण सामने आया है उसमें प्रमुखतः जंगल में सरकार की दखल, खनिज संसाधनो का दोहन, विस्थापन और नक्सलवाद है।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध सदैव क्रूर और अपमानजनक व्यवहार होते रहा है। कुछ क्रियायें जो जनजाति वर्ग के हित के विरुद्ध हैं, उसे भारतीय दण्ड संहिता 1860 मे दण्डनीय अपराध बनाया गया है, परन्तु इसके अलावा अनेक क्रियायें ऐसी है जो उक्त विधि मे दण्डनीय नहीं है तथा जनजातियों के सामाजिक

न्याय की सुरक्षा हेतु विशेष विधि की आवश्यकता थी, जो जनजाति वर्ग के विरुद्ध किए गए अपराधों को दण्डित करें। इस उद्देश्य से भारतीय संसद द्वारा 11 सितम्बर 1989 को यह अधिनियमित किया तथा 30 जनवरी 1990 से भारत में लागू किया गया। इस अधिनियम की विशेषता है कि-

1. यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों को दण्डित करता है।
2. यह पीडितों को विशष सुरक्षा और अधिकार देता है।
3. यह अदलातो को स्थापित करता है, जिससे मामले तेजी से निपट सकें।
4. यह अनुसूचित जनजातियो के सुरक्षा हेतु विशेष पुलिस स्टेशन की स्थापना का प्रावधान करता है।

इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरूद्ध होने वाले क्रूर और अपमानजनक अपराध जैसे- बलात रूप से अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ खिलाना या पिलाना या उन्हे अपमानित करने या क्षुब्ध करने की नीयत से कूड़ा-करकट, मल या मूत्र पशु का शव फेक देना, बलपूर्वक कपड़ा उतारना, मानव के सम्मान के विरूद्ध कार्य करना, गैर कानूनी ढंग से खेत या भूमि पर कब्जा कर लेना, बंधुआ मजदूरी के रूप में रहने को विवश करना या फुसलाना, गलत मतदान हेतु मजबूर करना, अपमानित करना, शील भंग करना, जल स्त्रोतों को गंदा करना, सार्वजनिक स्थानो से जाने से रोकना, मकान या निवास स्थान छोडने से रोकना इत्यादि अनेको क्रियायें इस अधिनियम में दण्डिनीय अपराध बनाया गया है।

यदि इस अधिनियम के लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध इस अधिनियम के तहत अपराध होने का तथा उसके निस्तारण की अध्ययन करे तब यह पाते है कि

1. इस अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ वर्ष 2016 तक न्यायालय के समक्ष 1554 मामला रिपोर्ट किया गया। जिसमें 227 मामला में विचारण पूर्ण हुआ तथा निर्णय किया गया। निर्णय के अनुसार

78 माामले में दोष सिद्ध हुआ तथा 149 मामले में दोषमुक्ति का आदेश हुआ एवं 2016 अंततक 1327 मामले शेष लम्बित है। (एनुअल रिपोर्ट 2018-19 समाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार)

2. यदि केवल 2016 में इस अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के खिलाफ रिपोर्टिगं मामले की बात करे तब कुल-645 मामलें पंजीकृत हुए जिसमें अनुसूचित जाति संम्बधित-243 एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ-402 मामले पंजीकृत किये गये। (एनुअल रिपोर्ट 2018-19 समाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार)

यह सभी पंजीकृत अपराध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत मामले के अतिरिक्त है।

यदि उपर्युक्त आंकडो का अध्ययन करते हैं, तब पाते है कि अभी भी अनुसूचित जनजाति के खिलाफ घटित अपराध में कमी नही आई है, तथा पंजीकृत मामले का निस्तारण भी बहुत धीमी गति से दर्शित है। इसके पीछे कारण एनुअल रिपोर्ट 2018-19 समाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार में दिखती है-

1. अधिनियम 1989 के तहत छत्तीसगढ़ में खुलने वाली न्यायलय की संख्या मात्र-03 (तीन) है।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति पुलिस स्टेशन की संख्या मात्र-13 है।

इसके साथ-साथ अनुसूचित जनजाति को इस अधिनियम के प्रति विधिक जनजागरण करने की गति बहुत धीमी है।

वन अधिकार अधिनियम 2006

स्वतंत्रता से पहले वनों की भूमि को शीर्ष भूमि की दृष्टि से देखा जाता तथा वनों के वृहद भू-भागो को आरक्षित घोषित करके उनका प्रबन्धन अधिकार व्यवसायिक उपयोग हेतु होता था। वनों को आरक्षित घोषित करने की इस प्रक्रिया के कारण वनवासी समुदायों (जनजातीय तथा अन्य) के परम्परागत अधिकारों का

हनन् हुआ। स्वतंत्रता के बाद भी वनवासियों के सम्पत्ति के अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या के न होने की वजह से वनों पर आश्रित, वनों में या उनके आस-पास रहने वाले परिवारों को अतिप्रमाणी तथा अवैधानिक, कब्जे वालों के रूप में देखा गया। इस कारण ऐसे क्षेत्रों में भूमि एवं वन अधिकारों पर भयंकर विवाद हुआ है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार को मान्यता) अधिनियम-2006 द्वारा समुदायों की प्राकृतिक साधनों पर अधिकार थे कुछ मुद्दों के निपटारे का प्रयास किया गया है। जहां एक ओर इस अधिनियम को मूलतः स्थानीय समुदायों को लाभान्वित करने वाले अधिनियम के रूप में देखा जा रहा है। वहीं बहुत से संरक्षणवादियों को इस अधिनियम से वन क्षेत्रों की और भी हानि पहुचनें की भय है।

वनाधिकार अधिनियम सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकारो को व्यक्तिगत अधिकारों के साथ-साथ मान्यता एवं सुरक्षा प्रदान करता है। इसका अभिप्राय यह है, कि समुदायों का, उन वन संसाधनों पर जो उनकी जीविका हेतु जरूरी है। अधिकारों का दावा करने हेतु सशक्तिकरण करेगा। यह अधिनियम असुरक्षित समूहों जैसे कि आदिम जनजाति समूहों खानोबदोश एवं गड़रिया समुदायों के अधिकारों को भी मान्यता प्रदान करता है। जिनके अधिकारों की अब तक सुरक्षा नही की गई। इस अधिनियम के तहत मिलने वाले अधिकार संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है-

1. 13 दिसम्बर 2005 से पहले वन भूमि पर काबिज लोगों का उस भूमि पर अधिकार और पट्टा जो पति-पत्नि दोनो के नाम पर होगा, दिया जायेगा।
2. वन निवासी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को निवास या जीविकायापन हेतु स्वयं खेती करने के लिए व्यक्तिगत या सामुहिक वन भूमि को जोतने और उसमें रहने का अधिकार है।
3. लघू वनोपज का संग्रहण, उसका उपयोग करने और बेचने का अधिकार होगा।
4. जगंल में मवेशी चराने का अधिकार।

5. जगंल क्षेत्र में पानी, सिचाई, मछली पालन एवं पानी से अन्य उपज प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।
6. जहां वन भूमि से लोगों को अवैधानिक तरीके से बिना पुनर्वास के तहत दिया गया है, वहां उसी जमीन पर या दूसरी जमीन पुनर्वास का अधिकार होगा।
7. कोई ऐसा पारम्परिक अधिकार का संरक्षण जिसका वनवासियों द्वारा रूढ़िगत रूप से उपयोग किया जा रहा है, परन्तु इसमें जगंली जानवरों के शिकार करने का अधिकार नहीं होगा।
8. जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से संम्बधित बौद्धिक सम्पदा और पारम्परिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार होगा। इत्यादि

अधिनियम की धारा 5 वन अधिकारों के धारकों के कर्तव्य अधिरोपित करता है, कि

(क) वन्य जीव, वन और जैव विविधता का संरक्षण करना,

(ख) यह सुनिश्चित करना कि-

1. जलागम क्षेत्र, जल स्त्रोत और अन्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र पर्याप्त रूप से संरक्षित है,
2. अनुसूचित जनजातियॉं और अन्य परंपरागत वन निवासियों का निवास किसी प्रकार के विनाशकारी व्यवहारों से संरक्षित है जो उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को प्रभावित करती है।
3. ऐसे किसी क्रियाकलाप को रोकने के लिए जो वन्य जीव, वन और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव गलत है, ग्राम सभा में लिए गए विनिश्चयों का पालन किया जाता है।

अधिनियम के तहत ग्रामसभा गठित कर इस अधिनियम में के प्रावधानों को लागू किया जाना है।

समीक्षा

सी0एफ0आर0- एल0ए0, जनसंगठनों और गैर सरकारी संगठनों का एक नेटवर्क है, जिसने इस कानून के 10 वर्ष के क्रियान्वयन पर एक लेखा-जोखा (प्रॉमिसेस एण्ड परफॉर्मेंस) प्रकाशित किया था, जिसमें यह बताया गया कि इन 10 वर्षों में इस कानून में निहित संभावनाओं का मात्र 3% ही हासिल किया जा सका है। इस तरह आज इस कानून के प्रदर्शन का आंलकन करते हैं, तब केवल निराशा ही हांथ लगती है, इसके पीछे निम्नलिखित कारण सामने आते हैं:-

1. अधिनियम पारित कर भारतीय संसद ने बनवासी नागरिकों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को तो स्वीकार किया, पर यह अन्याय कैसे और किसने किया, इन सवालों पर मौन रही। इस अन्याय के लिए जिम्मेदार रहे व्यवस्था, एजेंसियां और विधान की जवाबदेही तय नहीं की गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि इस तरह की एजेंसियां आज भी इस अधिनियम को असफल करने में लगे हुए हैं।
2. आज भी जंगल, 'नैसर्गिक जंगल' के स्थान पर 'कृत्रिम और व्यावसायिक जंगल' के अवधारणा में जकड़ी है।
3. सरकार ने वन अधिकार अधिनियम के प्रचार प्रसार में बहुत सक्रियता नहीं दिखाई है।
4. वर्षों से रह रहे या खेती कर रहे आदिवासी समुदाय को स्थाई पट्टा नहीं दिया गया है।
5. आदिवासियों को अपने ही जंगल और जमीन से करोड़ो की संख्या में विस्थापित किया गया है।

सुझाव

उपर्युक्त अधिनियमों के उधेश्यों की सफलता की प्राप्ति हेतु निम्न सुझावों पर विचार किया जाना अपेक्षित जान पड रहा है-

1. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण में लगी संस्था को पारदर्शी एवं

जवाबदेही बनाने की आवश्यकता है।

2. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को सफल बनाने हेतु जनसंख्या के अनुपात में विशेष न्यायालय, विशेष पुलिस स्टेशन, विशेष अभियोजन अधिकारी का उपलब्धता जरूरी है, जिससे त्वरित न्याय हो सके। साथ ही इस अधिनियम के बारे में समाज में विधिक जागरूकता प्रसारित करने की आवश्यकता है।
3. 5वीं अनुसूची के सफलता हेतु जिला स्वशासी परिषद (डीएसी) की मान्यता प्रदान कर सशक्त करने की आवश्यकता है।
4. वन अधिकार अधिनियम की सफलता हेतु आवश्यक है कि

(क) वन विभाग के सबसे निचले पायदान के डरे हुए नागरिकों को यह विश्वास दिलाना कि यह जंगल आपका है और आपको ही इसका प्रबंधन, संरक्षण व पुनरूत्पादन करना है, जैसा आप सदियों से करते आए हैं।

(ख) वनवासियों के साथ अन्याय करने वाले एजेंसियों को चिन्हांकित कर उसका जवाबदेही तय किया जाना आवश्यक है।

(ग) इस अधिनियम को लागू किए जाने का उद्देश्य और महत्व को जनजागरण के द्वारा वनवासी भाईयों तक पहुंचाया जाना आवश्यक है, ताकि इस अधिनियम के लाभार्थी लाभ प्राप्त कर सकें।

(घ) जंगल के 'वन' की कृत्रिम व व्यावसायिक अवधारणा से मुक्त कर उसके मौलिक एवं 'नैसर्गिक जंगल' की अवधारणा को स्थापित करना आवश्यक है।

(ड़) वर्षों से रह रहे या खेती कर रहे आदिवासी परिवार को त्वरित कार्यवाही कर व्यापक मात्रा में स्थाई पट्टा दिया जाय।

(च) राज्य सरकार को विस्थापन के समस्या का तत्काल समाधान निकाल कर

विस्थापित परिवार को विस्थापन के जगह से नजदीक किसी स्थान पर निवासित किया जाय, ताकि वह पूर्व के सभ्यता, संस्कृति एवं वातावरण को महसूस कर सके।

निष्कर्ष

उपर्युक्त संक्षिप्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि आदिवासी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनैतिक स्तर में सुधार दिखती है, परन्तु यह स्तर अभी भी सामान्य स्तर से बहुत नीचे है। अनुसूचित जनजाति समाज आज भी मुख्य धारा से दूर है। इनको मुख्य धारा में जोड़ना तथा उनके अधिकारों को प्रदान करना अति आवश्यक है। इसके लिए विधिक प्रावधानों के साथ-साथ सामजिक स्तर पर जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि इन्हे अपने अधिकारों का ज्ञान हो तथा उसे सक्षम ढंग से परिवर्तित करा सके।

संदर्भ-ग्रंथ सूची

1. पाण्डेय, डॉ. जय नारायन, भारत का संविधान, 2008, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद।
2. मिश्रा, डॉ. अनिल कुमार, दण्डकारण्य, 2018, आंखर (ऑनलाईल पब्लिकेशन) जगदलपुर।
3. शुक्ला, हीरालाल, आदिवासी बस्तर का वृहद इतिहास, 2007, बी.आर.प्रकाशन दिल्ली।
4. गोस्वामी, दीपक, संविधान ने अदिवासियों के संरक्षण का जिम्मा सरकार को सौपा था, लेकिन वो उन्हे खत्म कर रही है, द वायर, फेवररी 15, 2019.
5. एनुअल रिपोर्ट 2018-19 समाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार
6. बेयर एक्ट-अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
7. बेयर एक्ट-अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार को मान्यता) अधिनियम-2006